उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

मौलिक कर्तव्यों के विषय पर आयोजित की जाने वाली निबन्ध प्रतियोगिता की रूपरेखा (**Modalities**)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 8–9 मार्च, 2014 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की 12वीं अखिल भारतीय गोष्ठी में लिये गये निर्णयों के कार्यन्वयन हेतु पत्र दिनांकित 2 अप्रैल, 2014 द्वारा निर्देशित किया गया है। जिसमें से एक निर्णय सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा मौलिक कर्तव्यों के विषय पर तीन श्रेणी (three tier) निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन करने के सम्बन्ध में है, जो प्रारम्भिक स्तर (elementary level), कक्षा 8–12 स्तर व कालेज स्तर पर आयोजित किये जाने है। इस सम्बन्ध में सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा के साथ दिनांक 23.05.2014 को उत्तराखण्ड सचिवालय में एक बैठक की गयी, जिसमें अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा, अपर सचिव, न्याय व शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा उक्त बैठक में यह सहमति बनी कि शिक्षा विभाग अपने अधीन सभी विद्यालयों में इस निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन करवाने हेतु उचित दिशा–निर्देश जारी करेगा तथा यह दोनों ही प्रारम्भिक स्तर (elementary level) व कक्षा 8–12 स्तर के निबन्ध प्रतियोगिता वह ब्लॉक स्तर पर आयोजित करवा लेगा, जिसकी तिथि शिक्षा विभाग स्वयं निर्धारित कर सकेगा एवम् इसके आयोजन के लिए बैनर एवं आवश्यक लेखन–सामग्री (Stationery) का खर्चा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन कर लिया जायेगा।

कक्षा 7वीं तक (**elementary level-upto class 7th**) एवं कक्षा 8–12 स्तर (**Class 8-12 level**) पर आयोजित होने वाली निबन्ध प्रतियोगिता की रूपरेखा (**Modalities**)

1. मौलिक कर्तव्यों के विषय पर कक्षा 7वीं तक (elementary level-upto class 7th) एवं कक्षा 8–12 स्तर (Class 8-12 level) पर निबन्ध प्रतियोगिता का सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में शिक्षा विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजन किया जायेगा।

2. प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ब्लॉक से प्रारम्भिक स्तर–कक्षा 7वीं तक (elementary level-upto class 7th) एवं कक्षा 8–12 स्तर (Class 8-12 level) की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शिक्षा विभाग द्वारा ब्लॉकवार गठित एक पैनल के द्वारा मूल्यांकन करवाकर, आयोजन की तिथि से एक माह के अन्दर उपरोक्त दोनों स्तरों में से पृथक–पृथक चयनित सर्वोत्तम तीन–तीन प्रविष्टियों को सील मोहरबन्द लिफाफे में सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जिला स्तर पर मूल्यांकन करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

3. सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक से उपरोक्त दोनों ही स्तरों में प्राप्त चयनित प्रविष्टियों का एक सप्ताह के अन्दर मूल्यांकन कर दोनों ही स्तरों मे सर्वोत्तम तीन–तीन प्रविष्टियों को चयनित कर लेगा एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये पारितोषिक के साथ एक सूक्ष्म कार्यक्रम का आयोजन कर, पुरस्कृत कर देगा। साथ ही पुरस्कृत विद्यार्थियों को एक–एक प्रशस्ति प्रमाण–पत्र, जोकि सम्बन्धित जिला जज/अध्यक्ष एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित होगा भी निर्गत करेगा।

4. प्रारम्भिक स्तर–कक्षा 7वीं तक (elementary level-upto class 7th) पर निबन्ध 100 शब्दों का तथा कक्षा 8–12 स्तर (Class 8-12 level) पर निबन्ध 200 शब्दों तक का होगा।

5. प्रारम्भिक स्तर–कक्षा 7वीं तक (elementary level-upto class 7^{th}) के लिये 30 मिनट तथा कक्षा 8–12 स्तर (Class 8-12 level) के लिये 45 मिनट की समयसीमा निर्धारित होगी।

6. निबन्ध प्रतियोगिता के लिए हिन्दी व अंग्रेजी भाषा का विकल्प निर्धारित किया जायेगा।

7. जिला स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक से प्राप्त पुस्तिकाओं को मूल्यांकन करने हेतु जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित एक पैनल गठित किया जायेगा।

8. ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक की प्रारम्भिक स्तर–कक्षा 7वीं तक (elementary level-upto class 7^{th}) एवं कक्षा 8–12 स्तर (Class 8-12 level) में से सर्वोत्तम तीन प्रविष्टियों (अर्थात् कुल छः प्रविष्टियॉ एक ब्लॉक से दोनों स्तर की) के प्रत्येक विद्यार्थियों को रू0 200/– नगद पारितोषिक दिये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है।

9. जिला स्तर पर उपरोक्त दोनों स्तरों में से मूल्यांकन उपरान्त् चयनित सर्वोत्तम तीन प्रविष्टियों (अर्थात् कुल छः प्रविष्टियॉ एक जनपद से दोनों स्तर की) के विद्यार्थियों को रू0 1,000/– प्रथम श्रेणी, रू0 750/– द्वितीय श्रेणी एवं रू0 500/– तृतीय श्रेणी, नगद पारितोषिक दिये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है।

10. ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर नगद पारितोषिक हेतु बजट उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

* * * * * * *

मौलिक कर्तव्यों के विषय पर शासकीय महाविद्यालयों में आयोजित की जाने वाली निबन्ध प्रतियोगिता की रूपरेखा (**Modalities**)

1. उत्तराखण्ड राज्य के समस्त शासकीय महाविद्यालयों द्वारा मौलिक कर्तव्यों के विषय पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों हेतु एक निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन अपने–अपने महाविद्यालयों में किया जायेगा।

2. निबन्ध प्रतियोगिता के आयोजन हेतु बैनर एवं आवश्यक लेखन–सामग्री (Stationery) का खर्चा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।

3. निबन्ध प्रतियोगिता के आयोजन की तिथि विलम्बतः 31 अगस्त, 2014 तक शासकीय महाविद्यालयों द्वारा स्वयं निर्धारित कर, आयोजन से एक माह पूर्व लिखित में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को फैक्स अथवा ई0मेल के माध्यम से अवगत करायी जायेगी।

4. निबन्ध प्रतियोगिता के आयोजन उपरान्त् प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा अपने महाविद्यालय की तीन सर्वोत्तम चयनित प्रविष्टियां सील मोहरबन्द लिफाफे में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को राज्य स्तर पर मूल्यांकन करने हेतु आयोजन की तिथि से एक माह के अन्दर प्रेषित की जायेगी।

5. प्रत्येक महाविद्यालयों से प्राप्त तीन–तीन सर्वोत्तम प्रविष्टियों का उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर मूल्यांकन किया जायेगा।

6. राज्य स्तर पर मूल्यांकन उपरान्त् चयनित मात्र तीन सर्वोत्तम प्रविष्टियों के विद्यार्थियों को उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नगद पारितोषिक के साथ पुरस्कृत किया जायेगा।

7. सर्वोत्तम प्रविष्टियों के लिये नगद पारितोषिक रू0 2,000/– प्रथम श्रेणी, रू0 1,500/– द्वितीय श्रेणी एवं रू0 1,000/– तृतीय श्रेणी निर्धारित किया गया है।

8. प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रशस्ति प्रमाण–पत्र, जोकि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष व सदस्य–सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा, भी निर्गत किया जायेगा।

9. निबन्ध प्रतियोगिता 300 शब्दों तक की होगी एवं इसके लिए 60 मिनट की समयसीमा निर्धारित होगी।

10. निबन्ध प्रतियोगिता के लिए हिन्दी व अंग्रेजी भाषा का विकल्प निर्धारित किया जायेगा।

11. निबन्ध प्रतियोगिता का विषय निम्नवत् होगाः–

    ''भारतीय संविधान की सम्प्रभुता एवं एकता को अक्षुण्ण एवं सुरक्षित रखने में मौलिक कर्तव्यों की भूमिका।''

    "The role of Fundamental Duties in upholding and protecting the Sovereignty and Unity of Constitution of India."

* * * * * * *